न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बद्री नारायण मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 40/24 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र रामधन जाति बैरवा निवासी सूर्य विहार ए जे सी सी जयुपर जिला जयपुर जिला जयपुर (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा।
2. चंचल देवी
3. हीरा लाल

—(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति:— 1. श्री पंकज शर्मा अधिवक्ता—(प्रार्थी)
2. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता—(अप्रार्थी स 2 व 3)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय दिनांक:—10.02.2025

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख0नं0 432/16 रकबा 1.6372 है0 भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास में स्थित है उक्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 2 व 3 की राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि पर आस पडौस के खातेदार जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने के चलते उसे खुर्द बुर्द करते रहते है जिससे मौके पर शान्ति भंग होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। प्रार्थी हीरालाल पुत्र मूल्या व चंचल देवी पत्नि संतोष ने पक्षकार बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हीरालाल पुत्र मुल्या को अप्रार्थी सं 2 व चंचल देवी पत्नि संतोष को अप्रार्थी सं 3 पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जवाब पेश कर पत्थरगढी करने बाबत् सहमति जाहिर की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 पत्र क्रमांक/एल0आर0/2024/789 पेश की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ख0नं0 432/16 रकबा 1.6372 है0 भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 व 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 व 3 ख0नं0 432/16 रकबा 1.6372 है0 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 व 3 की खातेदारी भूमि ख0नं0 432/16 रकबा 1.6372 है0 भूमि वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राहूवास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(बद्री नारायण मीना)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।